


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म०प्र० राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०



M509 S III / 16

लीलाधार पाण्डेय पिता श्री रामशरण पाण्डेय निवासी बकट नगर तहसील  
जेतहरी जिला अमृतपुर म०प्र०

==== पुनरीक्षणार्थ

बनाम

1- रामानन्द पाण्डेय व अन्य

==== गोरगुनरीक्षणार्थ गिण

पुनरीक्षण गणिका अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र०  
भू० रा०सं० 1959 ई०. बिस्व आदेश अपर  
कमिश्नर शाहडोल संभाग शाहडोल राजस्व प्रकरण  
क्रमांक 149/अपील/2014-15 आदेश दि० 8/10/15  
=====  
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 35(3) म०प्र० भू०  
राजस्व संविदा 1959 ई०.  
=====

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा  
17-2-16  
/my  
रजिस्ट्रार जी० प्र०

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हे :-

1:- रूकिए उपरोक्त उन्मात का प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में दिनांक- 4-1-2016 को अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे पेशी दायरा बन्स हेतु दिनांक 12/2/2016 को दी गयी किन्तु दिनांक- 10/2/2016 को न्यायालय के रीडर द्वारा दायरा बन्स के लिए बुलाया गया। अधिवक्ता के पास प्रकरण की फाइल न होने के कारण पेशी दिनांक को ही बन्स करमे की बात कही गयी थी।


2- रूकिए दिनांक- 12/2/2016 को अधिवक्ता पेशी पर उपस्थित होने न्यायालय में आए तो श्रीमान के न्यायालय का कक्षा बन्द था तथा ठीक सामने रीडर व अन्य कर्मी जहाँ बैठते हैं वर कक्षा भी बन्द था। समय लगभग 1.00 बजे थे, तथा कक्षा के बाहर कोई भी नोटिस वस्ता न होने के कारण न्यायालय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होसकी। तब अधिवक्ता लौटकर अपने अन्य प्रकरण में

क्रमशः 2...पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. M. 5095-III/16 जिला मन्पुरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>12/5/16</p>	<p>आवेदन आदि की - राजस्व प्रमाणिका  मिमा उपस्थित, उन्हे देते। आवेदन 43-  5095 / उन्हे तक से मैं सहमत हूँ तथा  देते। आवेदन स्वीकार किया जाता है।</p> <p>2. मूल प्रकरण क्रमांक नं. 5002/16 प्रमाणिका  के नाम पर किया जाता है। मूल प्रकरण -  को नाम अधिवक्ता नहीं बना सके  अतः सौजन्य करके सेलाम किया जावे  देते - आवेदन <del>सहमत</del> देते का सेलाम  किया जाता है।</p> <p>सदस्य</p>	 12/05/20